संख्या-15/2015/ए-1-959/दस-2015-10(6)/90

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2015**

विषय- सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-12/2015/ए-1-544/दस-2015-10(6)90, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31-07-2015 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-6 को कृपया निम्नानुसार संशोधित समझा जाय :-

वर्तमान प्रभावी व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वीकृत आदेश को केवल उस कोषागार को पृष्ठांकित करेंगे, जहाँ से उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर उनकी पेंशन का आहरण किया जाना है।	स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वीकृत आदेश को केवल उस कोषागार को पृष्ठांकित करेंगे, जहाँ से उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर उनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देयक का आहरण किया जाना है।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31-07-2015 की शेष प्रक्रिया यथावत् रहेगी।

भवदीय,
राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव ।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2015/ए-1-959(1)/दस-2015-10(6)/90, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल, उ0प्र0।

(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(5) महालेखाकार (आडिट)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का तत्परता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(8) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018- जवाहर भवन, लखनऊ ।

(9) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, 8वाँ तल, लखनऊ ।

(10) भुगतान एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली ।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।